पत्रांक–23 / नियुक्ति–01–01 / 2017.सा0प्र0 3535 /

बिहार सरकार

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

प्रेषक,

[redacted] राजेन्दर,
[redacted] के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव

पटना–15, दिनांक 29/02/24

विषय :– **बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को नियुक्त हेतु भेजे जाने वाले अधियाचना के प्रक्रिया के संबंध में।**

प्रसंग :– **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8754 दिनांक–17.06.2016 एवं पत्रांक–14777 दिनांक–17.06.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सभी विभागों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग को विभिन्न सेवाओं / संवर्गों के रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोग को भेजा जा रहा है।

2. उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को विभिन्न सेवाओं / संवर्गों के रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नहीं भेजे जाने के फलस्वरूप तत्संबंधी रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रियात्मक जाँच में सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत गठित नहीं हो पाता है साथ–हीं उच्च स्तर पर प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य में की जा रही नियुक्तियों एवं रोजगार सृजन का ब्योरा समेकित रूप से उपलब्ध कराये जाने में व्यवहारिक कठिनाई भी उत्पन्न होती है।

3. वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि –

(i) बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग को नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित किये जाने की भाँति बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भी विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचना को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जाँचोपरांत भेजे जाने की कार्रवाई की जाय।

(123) (4)

(ii) इसी प्रकार, अन्य आयोगों की भाँति बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग एवं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद से इस संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु एतद्संबंधी मासिक प्रतिवेदन भी सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–3(i) द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में **बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग एवं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना सीधे संबंधित आयोग को न भेज कर सामान्य प्रशासन विभाग** के माध्यम से भेजी जाय।

5. उक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. अतएव उपर्युक्त निर्णय का दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 28.2.2024

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:–23/नियुक्ति–01–01/2017, सा०प्र०–3535 पटना–15, दिनांक–29/02/24

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद/बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना को आवश्यक कार्यार्थ सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि **उपर्युक्त कंडिका–3(ii) में वर्णित निर्णय के आलोक में एतद्संबंधी अद्यतन मासिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।**

(हस्ताक्षर) 28/02/24.

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:–23/नियुक्ति–01–01/2017, सा०प्र०–3535 पटना–15, दिनांक–29/02/24

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 28/02/24.

सरकार के संयुक्त सचिव।